

२३<sup>५</sup>/<sub>२५</sub>

वादी व प्रतिवादी संख्या ४,१ तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। रुक-रुक कर उबार आवाज लगावाइ गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र व प्रतिवादी सं. ४,१ का काउंटर क्लेम अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि होकर गम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री कर्णपुर (श्री गंगानगर)